



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222932
CG-DL-E-03112020-222932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3502]
No. 3502]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3966(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी

अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टन डेडोकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला का नाम— पश्चिम बर्धमान

क्रम संख्या	पुलिस स्टेशन का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल		अर्जित जमीन
				एकर मे	हेक्टर मे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आसानसोल	कालीपाहाड़ी-36 (एल. आर.)	1017	0.030	0.0121	संपूर्ण
			1018	0.470	0.1902	दक्षिण-पूर्व भाग
			1023	0.470	0.1902	दक्षिण भाग
			1024	0.965	0.3905	दक्षिण भाग
			1025	0.120	0.0486	दक्षिण भाग
			1026	0.915	0.3703	मध्य भाग
			1048	0.025	0.0101	दक्षिण-पश्चिम कोण
			1049	0.080	0.0324	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1050	0.485	0.1963	उत्तर कोण वर्जित
			1051	0.085	0.0344	उत्तर भाग वर्जित
			1052	0.100	0.0405	संपूर्ण
			1088	0.140	0.0567	संपूर्ण
			1089	0.740	0.2995	संपूर्ण
			1090	0.080	0.0324	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1091	1.535	0.6212	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1092	0.150	0.0607	दक्षिण-पश्चिम कोण
			1094	0.295	0.1193	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1095	0.485	0.1963	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1098	0.110	0.0445	दक्षिण-पश्चिम कोण
			1099	0.270	0.1093	संपूर्ण
			1100	0.475	0.1922	उत्तर-पूर्व कोण वर्जित
			1101	0.050	0.0202	दक्षिण-पश्चिम कोण
			1102	0.220	0.0890	संपूर्ण
			1103	0.400	0.1619	संपूर्ण
			1182	0.465	0.1882	दक्षिण-पूर्व कोण वर्जित
			1183	0.610	0.2469	दक्षिण-पूर्व भाग वर्जित
			1185	0.075	0.0304	दक्षिण-पश्चिम कोण
			1211	0.160	0.0648	दक्षिण-पश्चिम भाग

क्रम संख्या	पुलिस स्टेशन का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल		अर्जित जमीन
				एकर मे	हेक्टर मे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1212	0.045	0.0182	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1213	0.020	0.0081	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1339	0.225	0.0911	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1340	0.125	0.0506	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1341	0.040	0.0162	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1342	0.035	0.0142	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1343	0.020	0.0081	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1344	0.055	0.0223	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1345	0.070	0.0283	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1346	0.050	0.0202	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1347	0.050	0.0203	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1348	0.055	0.0223	दक्षिण-पश्चिम भाग
			1349	0.050	0.0201	दक्षिण-पूर्व भाग
2	फरिदपुर	नडिहा-92 (आर. एस.)	111	0.085	0.0344	पूर्व भाग
			120	0.415	0.1679	उत्तर-पश्चिम भाग
			122	0.015	0.0061	पश्चिम भाग
			123	0.105	0.0425	उत्तर-पश्चिम भाग
			124	0.060	0.0243	संपूर्ण
			125	0.600	0.2428	मध्य भाग
			126	1.390	0.5625	पूर्व भाग
			128	0.225	0.0911	दक्षिण-पूर्व भाग
			129	0.135	0.0546	उत्तर भाग

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2079]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2020

S.O. 3966(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal.

Name of District- Paschim Bardhaman

SL. NO.	POLICE STATION	NAME OF MOUZA WITH JL NO.	PLOT NO.	ACQUISITION AREA		AFFECTED PORTION
				ACRE	HECT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASANSOL	KALIPAHARI-36 (L. R.)	1017	0.030	0.0121	FULL
			1018	0.470	0.1902	SOUTH-EASTERN
			1023	0.470	0.1902	SOUTHERN
			1024	0.965	0.3905	SOUTHERN
			1025	0.120	0.0486	SOUTHERN
			1026	0.915	0.3703	MIDDLE
			1048	0.025	0.0101	SOUTH-WEST CORNER
			1049	0.080	0.0324	SOUTH-WESTERN
			1050	0.485	0.1963	EXCEPT NORTH CORNER
			1051	0.085	0.0344	EXCEPT NORTH PORTION
			1052	0.100	0.0405	FULL
			1088	0.140	0.0567	FULL
			1089	0.740	0.2995	FULL
			1090	0.080	0.0324	SOUTH-WESTERN
			1091	1.535	0.6212	SOUTH-WESTERN
			1092	0.150	0.0607	SOUTH-WEST CORNER
			1094	0.295	0.1193	SOUTH-WESTERN
			1095	0.485	0.1963	SOUTH-WESTERN
			1098	0.110	0.0445	SOUTH-WEST CORNER
			1099	0.270	0.1093	FULL
			1100	0.475	0.1922	EXCEPT NORTH EAST CORNER
			1101	0.050	0.0202	SOUTH-WEST CORNER
			1102	0.220	0.0890	FULL
			1103	0.400	0.1619	FULL
			1182	0.465	0.1882	EXCEPT SOUTH-EAST CORNER
			1183	0.610	0.2469	EXCEPT SOUTH-EASTERN
			1185	0.075	0.0304	SOUTH-WEST CORNER
			1211	0.160	0.0648	SOUTH-WESTERN
			1212	0.045	0.0182	SOUTH-WESTERN
			1213	0.020	0.0081	SOUTH-WESTERN
			1339	0.225	0.0911	SOUTH-WESTERN
			1340	0.125	0.0506	SOUTH-WESTERN
			1341	0.040	0.0162	SOUTH-WESTERN
			1342	0.035	0.0142	SOUTH-WESTERN
			1343	0.020	0.0081	SOUTH-WESTERN
			1344	0.055	0.0223	SOUTH-WESTERN
			1345	0.070	0.0283	SOUTH-WESTERN
			1346	0.050	0.0202	SOUTH-WESTERN
			1347	0.050	0.0203	SOUTH-WESTERN
			1348	0.055	0.0223	SOUTH-WESTERN
			1349	0.050	0.0201	SOUTH-EASTERN

SL. NO.	POLICE STATION	NAME OF MOUZA WITH JL NO.	PLOT NO.	ACQUISITION AREA		AFFECTED PORTION
				ACRE	HECT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	FARIDPUR	NADIHA-92 (R. S.)	111	0.085	0.0344	EAST PORTION
			120	0.415	0.1679	NORTH WEST PORTION
			122	0.015	0.0061	WEST PORTION
			123	0.105	0.0425	NORTH WEST PORTION
			124	0.060	0.0243	FULL
			125	0.600	0.2428	MIDDLE PORTION
			126	1.390	0.5625	EAST PORTION
			128	0.225	0.0911	SOUTH EAST PORTION
			129	0.135	0.0546	NORTH PORTION

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2079]

A. K. SINHA, Executive Director (Land and Amenities)